

**आदेश पत्रक**  
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक..... ता०..... से .....तक  
जिला - राँची।  
केस का प्रकार - विविध वाद संख्या- 07/2022-23

आदेश एवं  
तिथि

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

24/9/22

आवेदक श्री मथुरा साहु, पिता- स्व० विगन साहु, पता- बोड़ेया, थाना- काँके, जिला- राँची के द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है। आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक श्री मथुरा साहु, पिता- स्व० विगन साहु, पता- बोड़ेया, थाना- काँके, जिला- राँची के द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में जाँच किया गया। आवेदक के अनुसार मौजा- अरसण्डे, थाना सं०- 159, खाता सं०- 276, प्लॉट सं०- 418, रकबा- 1.37 एकड़ भूमि उनके पिता की खरीदगी भूमि है जिसका दाखिल खारिज कराकर वर्ष 1991 तक लगान रसीद निर्गत है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि डीड सं०- 8091, दिनांक- 14.12.1965 में खाता सं०- 276, प्लॉट सं०- 418, रकबा- 83 डिसमील भूमि का अवैध रूप से डीड बनाकर दुसरे व्यक्ति को भी बेचा गया है। आवेदक द्वारा डीड सं०- 8091 दिनांक- 14.12.1965 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में आवेदक डीड को रद्द करने हेतु व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक डीड रद्द करने हेतु व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,  
काँके, राँची।

अंचल अधिकारी,  
काँके, राँची।

सेवा में,


अंचल अधिकारी  
काँके, राँची।


विषय:- विविध वाद सं०- 07/2022-23 के संबंध में।

महाशय,

आवेदक श्री मथुरा साहु, पिता- स्व० विगन साहु, पता- बोड़ेया, थाना- काँके, जिला- राँची के द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में जाँच किया गया। आवेदक के अनुसार मौजा- अरसण्डे, थाना सं०- 159, खाता सं०- 276, प्लॉट सं०- 418, रकबा- 1.37 एकड़ भूमि उनके पिता की खरीदगी भूमि है जिसका दाखिल खारिज कराकर वर्ष 1991 तक लगान रसीद निर्गत है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि डीड सं०- 8091, दिनांक- 14.12.1965 में खाता सं०- 276, प्लॉट सं०- 418, रकबा- 83 डिसमील भूमि का अवैध रूप से डीड बनाकर दुसरे व्यक्ति को भी बेचा गया है। आवेदक द्वारा डीड सं०- 8091 दिनांक- 14.12.1965 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। चूँकि डीड रद्द करना अंचल कार्यालय के कार्यक्षेत्र में नहीं है। इस संबंध में आवेदक डीड को रद्द करने हेतु व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

अतः जाँच प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

  
रा० उप निरीक्षक

  
अंचल निरीक्षक,  
काँके।

आपका

ग्राम सरपंच थाना नं० 159 खतानं 276 खेला नं० 418

रकबा - 68.5 डी० भूमि का स्थल जॉय सर्वे नक्शा  
के आधार पर जिया कर्तव्य में भूमि परती हो  
स्थानीय नुद्द-वाद में पंजी के रूप में बरत  
का दखल बरवाया गया।

प्रतिपद (समाप्त) (महिला)

            
25/10/21  
[Signature]